Section 21 : Import of services made on or after the appointed day

Import of services made on or after the appointed day shall be liable to tax under the provisions of this Act regardless of whether the transactions for such import of services had been initiated before the appointed day:

Provided that if the tax on such import of services had been paid in full under the existing law, no tax shall be payable on such import under this Act:

Provided further that if the tax on such import of services had been paid in part under the existing law, the balance amount of tax shall be payable on such import under this Act.

Explanation—For the purposes of this section, a transaction shall be deemed to have been initiated before the appointed day if either the invoice relating to such supply or payment, either in full or in part, has been received or made before the appointed day.

धारा 21 : नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात

नियत दिन को या उसके पश्चात् की गई सेवाओं का आयात, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि सेवाओं के ऐसे आयात का संव्यवहार नियत दिन से पहले प्रारम्भ कर दिया गया था, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर के दायित्वाधीन होगा :

परन्तु यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन पूर्णतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कोई कर संदेय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि यदि सेवाओं के ऐसे आयात पर कर, विद्यमान विधि के अधीन भागतः संदत्त कर दिया गया था, तो इस अधिनियम के अधीन ऐसे आयात पर कर की अतिशेष रकम संदेय होगी।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजन के लिए, किसी संव्यवहार को नियत दिन से पहले प्रारम्भ किया समझा जाएगा, यदि या तो ऐसी पूर्ति से सम्बन्धित बीजक या संदाय, या तो पूर्णतः भागतः नियत दिन से पहले प्राप्त कर लिया गया है या किया गया है।